भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4472

दिनांक 23/03/2021/02 चैत्र,1943 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की समीक्षा

†4472. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारत के मानचित्र सहित देश के राष्ट्रीय चिन्हों/प्रतीकों को खंडित करने अथवा उनके अपमान को निषिद्ध करने संबधी राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की समीक्षा करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को खंडित अथवा उनका अपमान करने वाले व्यक्तियों के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस में शिकायतें दर्ज हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के मौजूदा प्रावधान भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रगान के अपमान के मामलों से निपटने में पर्याप्त समझे गए हैं।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर की घटनाओं से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। चूंकि, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का अपराध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और 3 के तहत दंडनीय है, इसलिए इन शिकायतों को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भेज दिया जाता है, क्योंकि उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व उन प्राधिकरणों का है जिनके अधिकार-क्षेत्र में अनादर का कथित कार्य हुआ है। गृह मंत्रालय में पुलिस शिकायतों के पंजीकरण का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, गृह मंत्रालय, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता है।

****